CIT/M&TC/D.No.156

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

Notification

New Delhi, the 5th day of August, 2013

INCOME-TAX

S.O.________.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 115U read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (13th Amendment) Rules, 2013.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,–

(a) for rule 12C, the following rule shall be substituted, namely:–
" **Statement under sub-section (2) of section 115U.**

12C. (1) The statement of income paid or credited shall be furnished by the 30th November of the Financial year following the previous year during which such income is paid or credited, to the Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax, within whose jurisdiction, the principal office of the Venture Capital Company or the venture Capital Fund, as the case may be, is situated.

(2) The statement of income paid or credited which is to be furnished under sub-section (2) of section 115U by the Venture Capital Company or the Venture Capital Fund, as the case may be, shall be in Form No. 64, duly verified by an accountant in the manner indicated therein and shall be furnished electronically under digital signature.

(3) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedure for filing of Form No. 64 and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements so furnished.";

(b) in Appendix-II, for Form No. 64, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM NO. 64
[*See* rule 12C]

Statement of income paid or credited by Venture Capital Company or Venture Capital Fund to be furnished under section 115U of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the Venture Capital Company/ Venture Capital Fund *
2. Address of the registered office
3. Permanent Account Number
4. Previous year ending
5. Name and address of the Directors of the Venture Capital Company/trustees of the Venture Capital Fund*

6. Date of registration of the Venture Capital Company or Venture Capital Fund with SEBI

(i) under the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Regulations,1996
(ii) under the Securities and Exchange Board of India (Alternate Investment Funds) Regulations, 2012

7. In a case where Venture Capital Company or Venture Capital Fund is registered under SEBI (Alternate Investment Fund) Regulations, 2012,

A. Whether the Venture Capital Company or Venture Capital Fund has invested not less than two-third of its investible funds in unlisted equity shares or equity linked instruments of venture capital undertaking Yes/No

B. Whether the Venture Capital Company or the Venture Capital Fund has made any investment in any venture capital undertaking in which, -

(i) its director or a substantial shareholder (being a beneficial owner of equity shares exceeding ten per cent. of its equity share capital); or
(ii) its trustee or settler, as the case may be –

holds, either individually or collectively, equity shares in excess of fifteen per cent. of the paid-up equity share capital of such venture capital undertaking

Yes/No

C. Whether the shares or units of the Venture Capital Company or the Venture Capital Fund, as the case may be, are listed on any recognised stock exchange at any time during the previous year Yes/No

8. Total income under all heads from the investments in Venture Capital Undertakings (9+11+13+15)

9. Total income from the investments in Venture Capital Undertakings under the head 'Long-term Capital Gains'

10. Proportion of (9 to 8)

11. Total income from the investments in Venture Capital Undertakings under the head 'Short-term Capital Gains'

12. Proportion of (11 to 8)

13. Total dividend income from the investments in Venture Capital Undertakings

14. Proportion of (13 to 8)

15. Other income (such as interest etc.) from the investments in Venture Capital Undertakings

16. Proportion of (15 to 8)

17. Details of persons, referred to in sub-section (1) of section 115U by whom the income is received or in whose name it has been credited, in the following format :—

S. No.	Name(s)	Address(es)	PAN	Total amount paid/ credited	Amount paid/ credited under 'Long Term Capital Gains' [Column 5 × Sl. No.10]	Amount paid/ credited under 'Short Term Capital Gains' [Column 5 × Sl. No.12]	Amount paid/ credited as 'dividend' [Column 5× Sl. No.14]	Other Income such as interest etc. paid/ credited [Column 5 × Sl. No.16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Enclose a copy of the certificate of registration under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

Enclose a copy of the Venture Capital Fund deed in case of Venture Capital Fund registered under the provisions of the Registration Act, 1908.

Enclose audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards distribution of income or credit of income [including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 115 U(5)].

I, ______________________________ (Name in full and in block letters)son/daughter/wife of ______________________________ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents

accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as__________________________ (designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the ______________ day of ______________.

Place ________________ *Signature* ________________

Verification

I/We ____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income distributed / credited [including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 115 U(5)] to the investors by the ____ (name of the Venture Capital Company or the Venture Capital Fund) for the previous year ending ________________.

2. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

____

Place ________________ *(Signature with name of the Accountant)*

Date ________________

Notes:

1. "Accountant" means the accountant as defined in the *Explanation* to sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.
2. * Strike out whichever is not applicable.".

[Notification No. 59 /2013/ F.No.142/17/2013-TPL]

Katoch

(Amit Katoch)
Under Secretary to the Government of India

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended by the Income-tax (11th Amendment) Rules , 2013 vide notification S.O. 2331 (E) dated 01-08-2013.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2013

आय-कर

का.आ. _____ (अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)की धारा 295 के साथ पठित धारा 115प की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (...13वां संशोधन) नियम, 2013 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-
   (क) नियम 12ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"12ग. धारा 115प की उपधारा (2) के अधीन विवरण.- (1) संदत्त या जमा आय का विवरण, ऐसे मुख्य आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के भीतर, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का प्रधान कार्यालय स्थित है, उस पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसके दौरान ऐसी आय वितरित की जाती है, पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) संदत्त या जमा आय का विवरण, जो, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा धारा 115प की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना है, प्ररूप सं. 64 में होगा और उसमें उपदर्शित रीति में किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित होगा, अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रोनिक रूप से दिया जाएगा ।

(3) आय-कर महा निदेशक (पद्धति), प्ररूप सं. 64 फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस प्रकार दिए गए विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियों को तैयार और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी भी होगा ।";

(ख) परिशिष्ट II में, प्ररूप सं. 64 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 64

[नियम 12ग देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115प के अधीन जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त या जमा पूंजी आय के संबंध में दिया जाने वाला विवरण

1. जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि* का नाम
2. रजिस्टर्ड कार्यालय का पता
3. स्थायी लेखा संख्यांक
4. समाप्त होने वाला पूर्व वर्ष
5. जोखिम पूंजी कंपनी के निदेशकों या जोखिम पूंजी निधि* के न्यासियों के नाम और पते

6. जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण की तारीख -

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 के अधीन

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्प विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन

7. उस दशा में जहां जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्प विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है,

(क) क्या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ने जोखिम पूंजी उपक्रम के असूचीबद्ध साधारण शेयर या साधारण संबद्ध विनिधानों में अपने विनिधानीय निधियों का दो तिहाई से अन्यून विनिधान किया है — हां/नहीं

(ख) क्या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ने किसी ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम में कोई विनिधान किया है जिसमें,-

(i) इसका निदेशक या कोई सारभूत शेयरधारक (इसकी साधारण अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक साधारण शेयरों का हिताधिकारी स्वामी होते हुए) ; या

(ii) यथास्थिति, उसका न्यासी या व्यवस्थापक -

या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम के संदत्त साधारण अंश पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक साधारण शेयर रखता है — हां/नहीं

(ग) क्या, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि के शेयर या इकाईयां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है

हां/नहीं

8. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से, सभी शीर्षों के अधीन, कुल आय (9+11+13+15)

9. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से, "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन, कुल आय

10. (9 से 8) का अनुपात

11. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से, "अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन, कुल आय

12. (11से 8) का अनुपात

13. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से कुल लाभांश आय

14. (13 से 8) का अनुपात

15. जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधानों से अन्य आय (जैसे ब्याज आदि)

16. (15 से 8) का अनुपात

17. निम्नलिखित रूपविधान में, धारा 115प की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे जिनके द्वारा आय प्राप्त की गई है या जिनके नाम से जमा की गई है :-

क्रम सं.	नाम	पता (पते)	स्थायी लेखा संख्यांक	कुल संदत्त / जमा रकम	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के अधीन संदत्त/जमा रकम [स्तंभ 5 x क्रम सं. 10]	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के अधीन संदत्त/जमा रकम [स्तंभ 5x क्रम सं. 12]	लाभांश के रूप में संदत्त/जमा रकम [स्तंभ 5x क्रम सं. 14]	संदत्त/जमा अन्य रकम जैसे ब्याज आदि [स्तंभ 5x क्रम सं. 16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें ।

यदि जोखिम पूंजी निधि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो जोखिम पूंजी निधि विलेख की प्रति संलग्न करें ।

संपरीक्षित लेखाओं को, जिसके अंतर्गत तुलन पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हों, भी है, आय की तथा आय के वितरण या आय के जमा के मद्दे [धारा 115प(5) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित] विनियोजन की प्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न करें ।

मैं,..(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो................................का पुत्र/ पुत्री/पत्नी हूं, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में जिसके अंतर्गत उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम

जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं । मैं यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं यह विवरण............................(पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूं और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज तारीख............................को सत्यापित किया गया ।

स्थान.................................. हस्ताक्षर...............................

सत्यापन

मैंनें/हमने...(जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि का नाम) द्वारा....................................को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष में उपार्जित आय और विनिधानकर्ताओं को वितरित/जमा आय [धारा 115प(5) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित] की विशिष्टियां दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है ।

2. मैं/ हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक है ।

....

स्थान............................ (लेखापाल के हस्ताक्षर और नाम)

तारीख...............

टिप्पण:

1. "लेखापाल" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के *स्पष्टीकरण* में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है ।
2. *जो लागू न हो उसे काट दें ।" ।

[अधिसूचना सं...59. /2013/ फा.सं.142/17/ 2013-टीपीएल]

अमित कटोच

(अमित कटोच)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन आय-कर (11 वां संशोधन) नियम, 2013 अधिसूचना का.आ.सं. 2331(अ) तारीख.1/8/2013 द्वारा किया गया ।